

# झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

## विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि-23.03.2023

विज्ञापन संख्या-01/2023

### निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड नियुक्ति परीक्षा

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-329 दिनांक-21.03.2022 तथा पत्रांक-612 दिनांक-13.06.2022 एवं पत्रांक-903, दिनांक-16.09.2022 के आलोक में निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड (गैर सम्बर्गीय) के एकल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारी नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

1. पद का नाम- निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड
2. रिक्तियों का विवरण :- 01 (अनारक्षित)
3. वेतनमान :- रुपये 37,400-67,000, ग्रेड पे0 AGP रुपये 10,000
4. परीक्ष्यमान अवधि :- 02 वर्ष
5. पात्रता :- उपर्युक्त पद के लिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापक/राजकीय पोलिटेकनिक के प्राचार्य/राजकीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक/अर्द्धसरकारी/उद्योग/केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार के उपक्रम के प्राध्यापक स्तर के कर्मी आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे।

#### 6. REQUIRED QUALIFICATION AND EXPERIENCE

(1)	(A) QUALIFICATION	(B) EXPERIENCE
	Ph.D Degree (with first class Degree at Bachelors or Master's Level) in Engineering/Technology. In addition the candidate should be an eminent person in the field.	15 Years experience in Teaching/Industry/Research out of which 05 years must be at the level of Professor/ Principal, or above in Engineering/ Technology.

#### (2) REQUIRED MINIMUM QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR THE CANDIDATE BELONGING TO SEMI GOVT./INDUSTRY/GOVT. UNDERTAKING OF JHARKHAND STATE GOVT./CENTRAL GOVT.

Candidate from Industry/Profession with master Degree in Engineering/Technology and with Professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with 15 years experience of which at least 5 years should be at a senior level comparable to that of a Professor/Principal would also be eligible. desirable-Administrative experience in a responsible position.

7. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :-01.08.2022

न्यूनतम उम्र सीमा – सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा-55 वर्ष।

8. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(i) चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्तर्वीक्षा के आधार पर की जाएगी।

(ii) तदनु रूप अन्तर्वीक्षा एवं विभिन्न शैक्षणिक योग्यता हेतु कुल 100 अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

1. Academic Record and Research Performance	–	20 अंक
2. Research Performance and Quality of Publications	–	40 अंक
3. Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills	–	20 अंक
4. Interview Performance	–	20 अंक

कुल

– 100 अंक

(iii) विभिन्न शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक विभाजन की विवरणी :-

Academic Records and Research Performance (20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and teaching Skills(20%)	Interview Performance (20%)
<b>BE/B.Tech/MA /M.Sc : 10</b> 1 for every 2% after 60% (MA/M.Sc for Humanities and Science)  <b>ME/M.Tech/M.Phil:5</b> 0.5 for every 2% after 60% (MPhil for Humanities and Science)  <b>Ph.D :5</b>	<b>Research Guidance : Max 5</b> Points per scholar/group) Ph.D-2.5/ME-1/BE 0.5/Dip-0.25)	<b>STTP/Wksp/Meets participation Max 5</b> For 2 week 1 each For 1 week 0.5 each For 2 days 0.25 each	
	<b>Research/Book Pub Max 10</b> Int Referred Journals with ISSN No.-2/Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number-1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system. By sole author – 1/Chapter In edited books – 0.5/Chapter Subject Books by National/State level Publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN numbers – By sole author – 0.5/Chapter In edited books-0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN number – by sole author-0.5/Chapter In edited books-0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) -1/Chapter Chapter in knowledge based volumes published by Indian/National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories – 0.5/Chapter.	<b>Papers in Conference etc Max 5</b> Int. Con with full paper publication 2 each National Con full paper publication 1 each state con full paper publication 0.5 each.	



	<b>Projects Max 5</b> Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project – 5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs.5 Lakh up to 30.0 Lakh Project – 4 Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project -2.	<b>Membership Professional Bodies</b>  <b>Max 3</b> International bodies 1 National bodies 0.5	
	<b>Patents/Policy documents Max 5</b> Minor policy document of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process for each Output/Patent of National level-2.5 per.	<b>Membership of Board of Studies (inhouse)</b> <b>Max 2</b> University/SBTE 1 College/Inst 0.5	
	<b>Consultancy Max 5</b> Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received – 5 Major consultancy for 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received t-4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Payment received – 2	<b>Membership of Board of Studies (outside)</b> <b>Max 2</b> Other Univ/Board 1 Other College/Inst 0.5	
	<b>Invited/Keynote Address in Conference/Seminar/Symposia Max5</b> International 2.5 National 1.0 State level 0.5	<b>Membership of Editorial/Reviewer Panel of Journals Max 3</b> International Journals 1 National Journals 0.5	
	<b>Awards/Facilitations/Distinctions Max 5</b> Padma/Fellowship/Award of International Repute level-5 Fellowship/Facilitation at state level 2.5		

टिप्पणी :-

- पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.20212 के आलोक में न्यूनतम अर्हतांक कुल-100 अंकों के साथ लागू होगा।
- मेधा का आकलन समेकित रूप से 100 अंकों के आधार पर किया जायेगा।

9. **परीक्षा शुल्क:-** परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

- अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। इस रियायती (concessionary) दर पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति भरा हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

- (iii) झारखण्ड राज्य के निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति भरा हुआ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (iv) बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र (उपर्युक्त कंडिका-III में वर्णित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को छोड़) स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (v) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट :- अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

10. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (1) अभ्यर्थी के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या असत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित पठनीय प्रति यथा:-
  - (i) मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - (iii) स्नातक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति। (यथा:-BE/B.Tech)
  - (iv) स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति। (यथा:-MA/M.Sc /ME/M.Tech/M.Phil)
  - (v) पी0एच0डी0 संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  - (vi) सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  - (vii) अद्यतन जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
  - (viii) अद्यतन निःशक्तता प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)।
  - (ix) अनुसंधान प्रदर्शन एवं प्रकाशन की गुणवत्ता, ज्ञानक्षेत्र एवं शिक्षा कौशल के मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति।

नोट :-साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-10(2) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- (3) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (5) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।



- (6) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (7) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (8) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (9) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (10) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (11) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में यदि कोई गलत सूचना या तथ्य अंकित करने/छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (12) कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, of
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

11. अंतिम तिथि-

- (क) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं कंडिका-10(2) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित पठनीय प्रति सहित बंद लिफाफे में जिसके ऊपर विज्ञापन संख्या एवं परीक्षा यथा:-निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड का नाम अंकित हो केवल स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक या हाथों हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेजे की दिनांक-23.03.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक आयोग कार्यालय (पता- परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001) को आवश्यक प्राप्त हो जाये।
- (ख) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-  
सचिव (प्रभारी),  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।